

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

वासीन अधिकारी :- श्रीमति सुमन सोनल (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या: 25/2025

दर्ज दिनांक: 24.03.2025

जी.सी.एम.एस. न०: 2025/105

1. पूरणमल वर्मा पुत्र शंकरलाल जाति बलाई निवासी रामूराम की ढाणी ग्राम कोट तह. उदयपुरवाटी।

प्रार्थी.....

बनाम

1. राजस्थान सरकार भूमिधारक जरिये तहसीलदार, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं

अप्रार्थी.....

प्रार्थना पत्र अं० धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय

निर्णय दिनांक:-23.04.2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि ग्राम कोट पटवार हल्का नांगल तह. उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित खाता सं. नया 135 के भूमि ख.नं. 10, रकबा 1.2700 हैक्टर, ख.नं. 11 रकबा 0.5400 हैक्टर, ख. नं. 1151/20 रकबा 0.1300 हैक्टर, ख.नं. 1166/15 रकबा 0.0300 हैक्टर, ख.नं. 12 रकबा 0.200 हैक्टर, ख.नं. 13 रकबा 0.2100 हैक्टर, ख.नं. 14 रकबा 0.4400 हैक्टर, ख.नं. 15 रकबा 0.0800 हैक्टर, ख.नं. 16 रकबा 0.52 हैक्टर, ख.नं. 17 रकबा 0.4700 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 3.8900 हैक्टर अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का 8/105 हिस्सा है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम पूर्णा पुत्र शंकर दर्ज हो गया है जिसमें पूर्णा गलत दर्ज हुआ है जबकि प्रार्थी का सही नाम पूरणमल वर्मा है जो दुरुस्त होने योग्य है। प्रार्थी का सही नाम पूरणमल वर्मा है प्रार्थी के जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र आदि दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम पूरणमल वर्मा अंकित है। जो कि बिल्कुल सही अंकित है। जबकि राजस्व रिकार्ड में सहवन से पूर्णा दर्ज हो गया है। जिसको शुद्ध व दुरुस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

अन्त में निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम कोट पटवार हल्का नांगल तह. उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित खाता सं. नया 135 के भूमि ख.नं. 10, रकबा 1.2700 हैक्टर, ख.नं. 11 रकबा 0.5400 हैक्टर, ख.नं. 1151/20 रकबा 0.1300 हैक्टर, ख.नं. 1166/15 रकबा 0.0300 हैक्टर, ख.नं. 12 रकबा 0.200 हैक्टर, ख.नं. 13 रकबा 0.2100 हैक्टर, ख.नं. 14 रकबा 0.4400 हैक्टर, ख.नं. 15 रकबा 0.0800 हैक्टर, ख.नं. 16 रकबा 0.52 हैक्टर, ख.नं. 17 रकबा 0.4700 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 3.8900 हैक्टर के हिस्सा 8/105 में प्रार्थी का नाम पूर्णा पुत्र शंकर के बजाय पूरणमल वर्मा पुत्र शंकर लाल दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार उदयपुरवाटी को दिये जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही तय की गई। अप्रार्थी तहसीलदार उदयपुरवाटी के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/826 दिनांक 07.04.2025 से जबाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम कोट पटवार हल्का नांगल तह. उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित खाता सं. नया 135 के भूमि ख.नं. 10, रकबा 1.2700 हैक्टर, ख.नं. 11 रकबा 0.5400 हैक्टर, ख.नं. 1151/20 रकबा 0.1300 हैक्टर, ख.नं. 1166/15 रकबा 0.0300 हैक्टर, ख.नं. 12 रकबा 0.200 हैक्टर, ख.नं. 13 रकबा 0.2100 हैक्टर, ख.नं. 14 रकबा 0.4400 हैक्टर, ख.नं. 15 रकबा 0.0800 हैक्टर, ख.नं. 16 रकबा 0.52 हैक्टर, ख.नं. 17 रकबा 0.4700 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 3.8900 हैक्टर के हिस्सा 8/105 में प्रार्थी का नाम पूर्णा पुत्र शंकर के बजाय पूरणमल वर्मा पुत्र शंकर लाल दुरुस्त किया जाना उचित है।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम कोट पटवार हल्का नांगल तह. उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित खाता सं. नया 135 के भूमि ख.नं. 10, रकबा 1.2700 हैक्टर किस्म गै.मु. आबादी 0.11 हैक्टर, ख.नं. 11 रकबा 0.5400 हैक्टर, ख.नं. 1151/20 रकबा 0.1300 हैक्टर, ख.नं. 1166/15 रकबा 0.0300 हैक्टर किस्म गै.मु. आबादी, ख.नं. 12 रकबा 0.200 हैक्टर, ख.नं. 13 रकबा 0.2100 हैक्टर, ख.नं. 14 रकबा 0.4400 हैक्टर, ख.नं. 15 रकबा 0.0800 हैक्टर, ख.नं. 16 रकबा 0.52 हैक्टर, ख.नं. 17 रकबा 0.4700 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 3.8900 हैक्टर अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का 8/105 हिस्सा है जिस पर प्रार्थी काबिज काशत है उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम पूर्णा पुत्र शंकर दर्ज हो गया है जिसमें पूर्णा गलत दर्ज हुआ है जबकि प्रार्थी का सही नाम पूरणमल वर्मा है जो दुरुस्त होने योग्य है। प्रार्थी का सही नाम पूरणमल वर्मा है प्रार्थी के जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र आदि दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम पूरणमल वर्मा अंकित है। जो कि बिल्कुल सही अंकित है। जबकि राजस्व रिकार्ड में सहवन से पूर्णा दर्ज हो गया है। जिसको शुद्ध व दुरुस्त किये जाने के आदेश पारित किये जावे।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

—:आदेश:-

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कोट पटवार हल्का नांगल तह. उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित खाता सं. नया 135 के भूमि ख. नं. 11 रकबा 0.5400 हैक्टर, ख.नं. 1151/20 रकबा 0.1300 हैक्टर, ख.नं. 12 रकबा 0.200 हैक्टर, ख. नं. 13 रकबा 0.2100 हैक्टर, ख.नं. 14 रकबा 0.4400 हैक्टर, ख.नं. 15 रकबा 0.0800 हैक्टर, ख.नं. 16 रकबा 0.52 हैक्टर, ख.नं. 17 रकबा 0.4700 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 3.8900 हैक्टर भूमि में प्रार्थी का 8/105 हिस्सा में प्रार्थी का नाम पूर्णा पुत्र शंकर के स्थान पर पूरणमल वर्मा पुत्र शंकर लाल दुरुस्त शुद्ध/दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार उदयपुरवाटी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे। निर्णय आज दिनांक 23 .04.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुमन सोनल)

उपस्थित अधिकारी  
उदयपुरवाटी

1717  
7/4/25



4.4.25

7/4/2025

कार्यालय तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू


क्रमांक/भू.अ./2025/826

दिनांक-07/04/2025

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
उदयपुरवाटी।

विषय:- प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरए उनवानी पूरणमल वर्मा बनाम तहसीलदार  
आदि मु0न0 25/2025 ग्राम कोट में तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट रिपोर्ट भिजवाने बाबत।  
महोदय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरए उनवानी पूरणमल  
वर्मा बनाम तहसीलदार मु0न0 25/2025 ग्राम कोट में पटवारी हल्का नांगल की मूल ही जांच रिपोर्ट  
सादर प्रेषित है।

  
तहसीलदार(भू0अ0) उदयपुरवाटी  
तहसील उदयपुरवाटी (झुन्झुनू)